न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/210

श्रीमती कस्तूरी बाई पुत्री चतरा पत्नी श्री कल्लू उर्फ भगवती प्रसाद जाति लश्करी निवासी ग्राम राजनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल आत्मज श्री रामलाल जाति गुर्जर निवासी पुरोहित जी की टापरी रेलवे कॉलोनी के पास तहसील लाडपुरा ।
2. रामपाल आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति धाकड निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा ।
3. श्याम बिहारी आत्मज श्री रामलक्ष्मण जाति धाकड ।
4. दिल खुश आत्मज श्री रामलक्ष्मण जाति धाकड निवासीगण ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. गुलाब बाई पुत्री श्री चतरा पत्नी श्री देवीलाल जाति लश्करी निवासी सब्जीमण्डी के पास नयापुरा कोटा ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री घनश्याम नागर अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीग अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम नौटाणा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 77 रकबा 0.23 हैक्टर जो बाद केचमेंट नवीन खसरा नम्बर 2276 रकबा 0.22 हैक्टर ग्राम चन्द्रेसल में प्रतिवादी कम 5 व मृतक भाई फूंदीलाल के वारिसान के नाम दर्ज की गई एवं चन्द्रेसल की कुल 06 किता की 3.23 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त आराजी में वादिनी एवं प्रतिवादी कम 5 पुत्रियॉ होने से फूंदीलाल को 1/3 हिस्से व वादिनी व प्रतिवादी कम 5 को 2/3 हिस्से का खातेदार घोषित

कराया जावे एवं फूंदी लाल द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 से 4 को किये गये विक्रय पत्र को वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 5 के हिस्से तक अवैध एवं प्रभावशून्य घोषित किया जाकर वादिनी एवं प्रतिवादी क्रम 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । वादिनी को खातेदार योग्य भूमि का विभाजन कर पृथक से खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादिनी को घोषित आराजी व विभाजन में प्राप्त आराजी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में मदाखलत व मजाहमत न तो स्वयं करे और न अपने किसी प्रतिनिधि से ही करवाए ।

3. अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

6. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 5 गुलाब बाई मृतक चतरा की जायन्दा पुत्रियॉ हैं जिनका चतरा जी के स्वर्गवास के बाद ग्राम चन्द्रेसल व ग्राम नोटाना स्थित आराजी में भाई फूंदी लाल के समान हिस्सा व अधिकार है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा ग्राम नोटाना स्थित आराजी में चतरा जी के सभी वारिसान का नाम दर्ज किया और ग्राम चन्द्रेसल स्थित आराजी में उनकी पुत्रियों अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट क्रम 5 का नाम गलती से दर्ज नहीं किया जबकि मृतक चतरा जी के सभी वारिसान का नाम नोटाना की भांति ही ग्राम चन्द्रेसल की आराजी में भी दर्ज किया जाना चाहिए था । प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर ग्राम नोटाना स्थिति आराजी का सरकारी रिकॉर्ड मौजूद था जो गलत हो इस सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई एतराज अथवा खण्डन नहीं किया फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट के लायक *अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय* में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 से 4 को बिना सूचित किये निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ *न्यायालय ने गलत तरीके* से एकपक्षीय कार्यवाही की है । प्रस्तुत प्रकरण में फूंदी लाल को पक्षकार ही नहीं बनाया तथा जिनको भूमि का बेचान किया गया है उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया है । प्रस्तुत प्रकरण में भू–प्रबन्ध विभाग ने समस्त भूमि फूंदीलाल के नाम दर्ज कर दी । प्रस्तुत प्रकरण में फूंदी के वारिसान आवश्यक पक्षकार हैं । इस प्रकार उक्त वाद मन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपील में भी फूदीलाल को पक्षकार नहीं बनाया तथा पक्षकार नहीं बनाने का कोई स्पष्ट एवं संतोषप्रद कारण भी दर्शित नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार

विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 बहाल रखा जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने भी अपनी बहस में मुख्य रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध भी एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना न्यायोचित है । हम प्रस्तुत प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.04.2017 निरस्त किया जाता है । पक्षकारान को जवाबदावा, सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद–विवादक बिन्दु कायम कर प्रत्येक वाद–विवादक बिन्दु पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 26.02.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 17.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा